

राजस्थान सरकार  
उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर  
(Ph. +91 141 2227606 e-mail: jdih.ext.hort@rajasthan.gov.in)

क्रमांक: प.1 ( )आउ / MIS/BA/Fert./GL / 2019-20 / 49-145

दिनांक: 29.04.2020


- (1) संयुक्त निदेशक उद्यान, खण्ड कोटा, जयपुर एवं जोधपुर।
- (2) उप निदेशक उद्यान, खण्ड भरतपुर, उदयपुर, जालौर, सीकर, श्रीगंगानगर, भीलवाडा, बीकानेर।
- (3) उप निदेशक उद्यान, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा
- (4) सहायक निदेशक उद्यान, अलवर, अजमेर, बांसवाडा, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर बून्दी, चुरू, दौसा, धौलपुर, झुंजरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झुन्झुनू, चित्तौड़गढ़, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरौही, स.माधौपुर, करौली, श्रीगंगानगर, टोंक।

**विषय:-** फर्टीगेशन / फोलियर उर्वरकीकरण / ऑटोमेशन योजना के क्रियान्वयन हेतु

**प्रसंग:-** आयुक्तालय के समसंख्यक पत्रांक 8237-8329 दिनांक 06.02.2020 (क्रियान्वयन दिशा-निर्देश) एवं 9157-9203 दिनांक 27.02.2020 (फर्टीगेशन दर अनुबन्ध) एवं 10105-50 दिनांक 17.03.2020 (ऑटोमेशन दर अनुबन्ध)

फर्टीगेशन, फोलियर उर्वरकीकरण तथा ड्रिप ऑटोमेशन की आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन माननीय मुख्यमंत्री के बजट भाषण 10 जुलाई, 2019 का पैरा संख्या 21 की अनुपालना में योजना के क्रियान्वयन दिशा निर्देश एवं दर अनुबन्ध की कार्यवाही प्रासांगिक पत्रों द्वारा की गई थी। इस क्रम में माह मार्च 2020 के दौरान जिला इकाईयों द्वारा मांग व वांछानुसार प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर दी गई थी परन्तु लॉकडाउन के मध्यनजर इसकी आपूर्ति नहीं की जा सकी। चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम के बजट प्रावधान तथा विगत प्रशासनिक स्वीकृतियों के क्रम में शेष रही आपूर्ति इस हेतु अनुमत आपूर्तिकर्ताओं से करवाया जाना वांछित है। अतः योजना का क्रियान्वयन अविलम्ब किया जावे।

योजना क्रियान्वयन के दौरान कोविड-19 के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा राज्य सरकार स्तर से जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे। फर्टीगेशन आदान तथा ऑटोमेशन संयंत्रों के विक्रय, परिवहन तथा स्थापन में किसी प्रकार कठिनाई की स्थिति में सम्बन्धित जिला/संभाग स्तरीय अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिला प्रशासन से सम्पर्क कर निराकरण कराया जावे।


  
आयुक्त उद्यानिकी  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.1 ( )आउ / MIS/BA/Fert. / GL / 2019-20 / 49-145

दिनांक: 29.04.2020

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक उद्यान, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
5. संयुक्त निदेशक उद्यान, मुख्यालय / सीएसएस / नर्सरी / अनुसंधान / विस्तार / कीट / सीओई, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।
6. उप निदेशक उद्यान शस्य / एनएचएम / नर्सरी / सांख्यिकी / विस्तार, उद्यान आयुक्तालय जयपुर।
7. आहरण वितरण अधिकारी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
8. समस्त उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद-----
9. फर्टीगेशन व फोलियर फर्टीलाइजेशन एवं ऑटोमेशन अनुबन्धित आपूर्तिकर्ताओं को भेजकर लेख है कि जिला इकाईयों के निर्देशन में कार्यक्रम संपादन सुनिश्चित किया जावे-
  1. Richfield Fertilizers Pvt. Ltd. B-27, M.I.D.C. Ambad, Nashik, Maharastra-422010
  2. DCM Shriram Ltd, Shriram Its Unit Shriram Fertilizers and Chemicals, 2<sup>nd</sup> Floor (West Wing), Worldmark 1, Aerocity, New Delhi-110037, India
  3. VCN India Private Limited, SCO 374, 2<sup>nd</sup> Floor Sector 37-D, Chandigarh, India
  4. Captain Polyplast Ltd., UL-25, Royal Complex, Bhutkhana Chow, Dhebar Road, Rajkot- 360002 Guj
  5. M/s Kothari Agritech Pvt. Ltd., 3<sup>rd</sup> Floor, Sun Plaza, 8515/11, Subhas Chowk, Murraraji Peth, Solapur- 413001

  
संयुक्त निदेशक उद्यान (विस्तार)  
राजस्थान, जयपुर